संख्या-1/2023/689/ ई-1/तेरह-2023-1703489/2023

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी

अपर मुख्य सचिव,

उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक:: 13 अप्रैल, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-001 आबकारी विभाग के लिये प्राविधानित धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-01/एक-4/बजट अनुमान/आबकारी/2023-24 दिनॉक 10-04-2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-03-2023 में निहित प्राविधानों के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में आबकारी विभाग के लिए मतदेय पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू.5,85,88,36,000.00 (रूपये पॉच अरब पच्चासी करोड. अठ्ठासी लाख छत्तीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुदान संख्या-001 आय-व्ययक अनुमान-2023-2024 (धनराशि रूपये में)			
लेखा शीर्षक/उप मद			
2039-राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेत्तर 001-निदेशन और प्रशासन 03-अधीक्षण	आय-व्ययक प्राविधान (2023-2024)	आवंटित की जाने वाली धनराशि	अभ्युक्ति
01-वेतन	370943000.00	370943000.00	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

02-मजदूरी	800000.00	800000.00	
03-महंगाई भत्ता	166924000.00	166924000.00	
04-यात्रा व्यय	2000000.00	2000000.00	
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1000000.00	1000000.00	
06-अन्य भत्ते	2500000.00	2500000.00	
07-मानदेय	20000.00	20000.00	
08-कार्यालय व्यय	7500000.00	7500000.00	
09- विद्युत देय	7000000.00	7000000.00	
10-जलकर/जल प्रभार	4000000.00	4000000.00	
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	1500000.00	1500000.00	
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2500000.00	2500000.00	
13-टेलीफोन पर व्यय	5000000.00	5000000.00	
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	13000000.00	13000000.00	
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1665000000.00	1665000000.00	
17-किराया उप शुल्क एवं कर-स्वामित्व	9000000.00	9000000.00	
18-प्रकाशन	200000.00	200000.00	
19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	3000000.00	3000000.00	
23-गुप्त सेवा व्यय	2000000.00	2000000.00	
39-औषधि तथा रसायन	600000.00	600000.00	
42-अन्य व्यय	50000.00	50000.00	
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	500000.00	500000.00	
45-अवकाश यात्रा व्यय	50000.00	50000.00	
46-कम्पयूटर हार्डवेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	700000.00	700000.00	
47-कम्प्यू. अनु./तत्सं स्टेशनरी का क्रय	2000000.00	2000000.00	
49-चिकित्सा व्यय	4000000.00	4000000.00	
51-वर्दी व्यय	2400000.00	2400000.00	
55-मकान किराया भत्ता	30000000.00	30000000.00	
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	6950000.00	6950000.00	
योग-03	**2311137000.00**	**2311137000.00**	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखा शीर्षक/उप मद			
2039-राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेत्तर 001-निदेशन एवं प्रशासन 04-जिला कार्यकारी अधिष्ठान	आय-व्ययक प्राविधान (2023-2024)	आवंटित की जाने वाली धनराशि	
08-कार्यालय व्यय	5000000.00	5000000.00	
19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	200000000.00	200000000.00	
42-अन्य व्यय	2000000.00	2000000.00	
मतदेय योग-04	**207000000.00**	**207000000.00**	
2039-राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेत्तर 001-निदेशन एवं प्रशासन 05-भट्ठियॉ	आय-व्ययक प्राविधान (2023-2024)	आवंटित की जाने वाली धनराशि	
01-वेतन	1957034000.00	1957034000.00	
03-महंगाई भत्ता	880665000.00	880665000.00	
04-यात्रा व्यय	2000000.00	2000000.00	
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4000000.00	4000000.00	
06-अन्य भत्ते	13000000.00	13000000.00	
08-कार्यालय व्यय	10000000.00	10000000.00	
09-विद्युत देय	6000000.00	6000000.00	
10-जलकर/जल प्रभार	1500000.00	1500000.00	
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	1500000.00	1500000.00	
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3000000.00	3000000.00	
13-टेलीफोन पर व्यय	2000000.00	2000000.00	
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	100000000.00	100000000.00	
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	800000.00	800000.00	
17-किराया उप शुल्क एवं कर-स्वामित्व	800000.00	800000.00	
26-मशीन साज-सज्जा	82000000.00	82000000.00	
42-अन्य व्यय	500000.00	500000.00	
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रसंगिक व्यय	500000.00	500000.00	
45-अवकाश यात्रा व्यय	200000.00	200000.00	
46-कम्पयूटर हार्डवेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	500000.00	500000.00	

http://shasanadesh.up.gov.in

47-कम्प्यू. अनु./तत्सं स्टेशनरी का क्रय	2000000.00	2000000.00	
49-चिकित्सा व्यय	20000000.00	20000000.00	
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	2500000.00	2500000.00	
55-मकान किराया भत्ता	120000000.00	120000000.00	
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	20000000.00	20000000.00	
योग-05	**3230499000.00**	**3230499000.00**	
2039-राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेत्तर 001-निदेशन एवं प्रशासन 06-कम्प्यूटरीकरण एवं आनलाइन एक्साइज मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना	आय-व्ययक प्राविधान (2023-2024)	आवंटित की जाने वाली धनराशि	
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	100000000.00	100000000.00	
47-कम्प्यू. अनु./तत्सं स्टेशनरी का क्रय	5700000.00	5700000.00	
योग-06	**105700000.00**	**105700000.00**	
योग-001	**5854336000.00**	**5854336000.00**	
योग-2039	**5854336000.00**	**5854336000.00**	
2059-लोक निर्माण कार्य 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 03-अनावसीय भवन की मरम्मत व रख-रखाव	आय-व्ययक प्राविधान (2023-2024)	आवंटित की जाने वाली धनराशि	
29-अनुरक्षण	2500000.00	2500000.00	
योग-051	**2500000.00**	**2500000.00**	
योग-01	**2500000.00**	**2500000.00**	
योग-2059	**2500000.00**	**2500000.00**	
2216-आवास 01-सरकारी रिहायसी भवन 700-अन्य आवास 03-आबकारी विभाग के आवासीय भवन की मरम्मत व रख-रखाव	आय-व्ययक प्राविधान (2023-2024)	आवंटित की जाने वाली धनराशि	
29-अनुरक्षण	2000000.00	2000000.00	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योग-700	**2000000.00**	**2000000.00**	
योग-01	**2000000.00**	**2000000.00**	
योग-2216	**2000000.00**	**2000000.00**	
योग-मतदेय	**5858836000.00**	**5858836000.00**	

2. उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग द्वारा पूँजी लेखा शीर्षक के अन्तर्गत आवंटित धनराशि कुल रु.42,35,00,000.00 (रुपया बयालिस करोड़ पैंतीस लाख मात्र) के सापेक्ष आबकारी आयुक्त से परीक्षणोंपरान्त सुविचारित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृति आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3. वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में आबकारी विभाग के लिए मतदेय पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू.5,85,88,36,000.00 (रूपये पॉच अरब पच्चासी करोड. अठ्ठासी लाख छत्तीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखी जा रही है। उक्त मदवार धनराशियों को व्यय करने में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-03-2023 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उपरोक्तानुसार प्राविधानित धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. यदि किसी व्यय के लिये शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाय, तो संदर्भित व्यय के लिये आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्षक का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाय।

6. उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/ विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित् करेंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि तत्काल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटित कर उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

(संजय आर .भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 1/2023/689 (1) / ई-1/तेरह-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ,.प्र. प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उ.प्र., जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, प्रयागराज।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9.
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल/समीक्षा अधिकारी, (बजट) आबकारी अनुभाग-1

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।